रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1576] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 12, 2011/श्रावण 21, 1933
No. 1576] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 12, 2011/SRAVANA 21, 1933

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2011

का.आ. 1894(अ).—रासायनिक हथियार समझौता अधिनियम, 2000 (2000 का 34) की धारा 6 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भारत सरकार, रसायन और उर्वरक मंत्रालय की 13 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1490(अ) में निम्नलिखित अतिरिक्त संशोधन करती है, नामत: :—

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 3 और उससे संबंधित प्रविष्टि को निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत: :—

"3. श्री आर. एस. सिद्धू—निदेशक (महानिदेशक, राजस्व सतर्कता निदेशालय)"

[फा. सं. 40020/20/2007-रसा.-I]

संजय बंसल, निदेशक

टिप्पणी :—मूख्य अधिसूचना 13 सितम्बर, 2006 के सं. का.आ 1490(अ) के तहत् प्रकाशित की गई थी और दिनांक 11-6-2010 के सं. का.आ. 1495(अ) के तहत अंतिम बार संशोधन किया गया था ।

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th August, 2011

S.O. 1894(E).—In pursuance of the provisions of sub-section (1) of Section 6 of the Chemical Weapons Convention Act, 2000 (34 of 2000), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, Ministry of Chemicals and Fertilizers, number S.O. 1490(E), dated the 13th September, 2006 with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely :—

In the said notification, for the serial number 3 and entry relating thereto, the following serial number and entry shall be substituted, namely :—

"3. Shri R. S. Sidhu— Director (Director General, Directorate of Revenue Intelligence)"

[F. No. 40020/20/2007-CH-I]

SANJAY BANSAL, Director

Note:—The principal notification was published *vide* No. S.O. 1490(E) dated 13th September, 2006 and last amended *vide* No. S.O. 1495(E) dated 11-6-2010.

India Code

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.